

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमडेगा।

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या - 04/2015 - 2016

निरजन लुगुन

दिनांक.....

बनाम

अमृत लुगुन


प्रस्तुत वाद दाखिल खारिज द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। वाद की कार्यवाही आवेदक निरजन लुगुन पिता स्व० दयाल मुण्डा ग्राम केन्दुदा थाना बानो जिला सिमडेगा के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 106R27/2013-2014 दिनांक 06.01.2014 को अंचल अधिकारी बानो द्वारा अस्वीकृत दाखिल खारिज के विरुद्ध स्वीकृति हेतु अपील दायर किया गया है। दाखिल खारिज अपील वाद संख्या - 04/2015 - 2016 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत है:-

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	
जामताई	बानो		72	842	0.09 एकड़	
				844	0.03 एकड़	
				846	0.13 एकड़	
				879	0.20 एकड़	
				1725	0.11 एकड़	
				1797	0.87 एकड़	
				1801	0.28 एकड़	
				2283	0.40 एकड़	
				843	0.02 एकड़	
				845	0.02 एकड़	
				876	0.14 एकड़	
				899	0.12 एकड़	
				1732	0.14 एकड़	
				1798	0.19 एकड़	
				2050	0.39 एकड़	
				874	0.16 एकड़	
				73	1718	0.21 एकड़
					1719	0.12 एकड़
				74	862	0.06 एकड़
					880	0.24 एकड़
	883	0.16 एकड़				
	1321	0.30 एकड़				
	2449	0.17 एकड़				
	2144	1.06 एकड़				
	2297	0.10 एकड़				
	878	0.06 एकड़				
	865	0.13 एकड़				
	1802	0.71 एकड़				

864	0.16 एकड़
881	0.07 एकड़
898	0.09 एकड़
2048	0.12 एकड़
2113	1.40 एकड़
2210	0.37 एकड़
2264	0.26 एकड़
900	0.16 एकड़
868	0.06 एकड़
1802	0.86 एकड़
<b>कुल</b>	<b>38</b>
	<b>10.18 एकड़</b>

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए दिनांक 07.07.2015 को दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया था। दिनांक 08.08.2016 को अंचल अधिकारी सिमडेगा से निम्न न्यायालय से न्यायालय की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी सिमडेगा के द्वारा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 13.07.2015 से दिनांक 04.11.2022 तक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्षों व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 04/2015-2016 वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय का बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 04/2015-2016 को संचिकास्त किया जा सकता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उप-समिति,  
सिमडेगा।

  
भूमि सुधार उप-समिति,  
सिमडेगा।